



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर


क्रमांक प.2(3)(ब)(4339)आ.कृ./ 699-990

दिनांक :- 24/04/18

परिपत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (3) (ब) (4339) आ.कृ./5983-6324 दिनांक 15.10.2015 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी.(सी) सीसी नो 20828/14 राज्य सरकार व अन्य बनाम ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर सुरपरवाईजर एसोसियसन एवं अन्य को (राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं0 5108/98 ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर सुरपरवाईजर एसोसियसन एवं अन्य के निर्णय दिनांक 09.07.14 के विरुद्ध दायर) निर्णय दिनांक 02.02.15 को खारिज करने की पालना में विभागीय आदेश क्रमांक 3035-3300 दिनांक 23.05.98 को यथावत रखते हुए विभाग के अकृषि योग्यधारी कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि योग्यताधारी कृषि पर्यवेक्षकों के समान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः उक्त आदेश के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (3) (ब) (4339) आ.कृ./5983-6324 दिनांक 15.10.2015 के क्रम में आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत / सेवानिवृत्त कृषि पर्यवेक्षकों का कोई प्रकरण बकाया तो नहीं है इसकी पालना रिपोर्ट अति शीघ्र कृषि आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।


(सोमेन्द्र शर्मा)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक प.2(3)(ब)(3703)आ.कृ./ 699-990

दिनांक :- 24/04/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।.....
4. परियोजना निदेशक कृषि विस्तार सी.ए.डी. कोटा।
5. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि खण्डीय.....
6. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद / शष्य
7. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर।/ भू सर्वे0 बीकानेर।
8. ए.सी.पी मुख्यालय को वेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान.....
10. प्रशासनिक अधिकारी संस्थापन शाखा मुख्यालय।
11. आरक्षी पत्रावली।


(बी0एल0कुमावत)

सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)